

# फर्द अहकाम

बनाम

विशेष विवरण	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
न्यायाधीश		<p>पत्रावली पेश करने की दिनांक 7.3.18 को पेश हो।  <u>Sudh</u>                      31.1.18</p>	
7	2-3-18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार अपाक्षित वकील प्रार्थी को अपाक्षितता की सूची के तहत 'शेड्यूल' तलबना नोटिस तक पहुँचाने के लिए पत्रावली को दिनांक 3.4.18 को पेश हो।  <u>Sudh</u>                      7.3.18</p>	
17	3-4-18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अपाक्षित नहीं है ना ही प्रार्थी स्वयं अपाक्षित है। -थायालय समय तक रुक रुक कर आवेदन लागवाई गई परन्तु वकील स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई वकील आदि अपाक्षित नहीं हुए हैं। अतः प्रार्थी स्वयं अथवा उनकी ओर कोई वकील आदि के अपाक्षित नहीं होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से रुक हो।  <u>Sudh</u>                      9.4.18</p>	